न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री जगदीशसिंह आशिया, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 16/2025

प्रार्थीगण **बनाम** विप्रार्थीगण

1. दमाराम पुत्र मंगलाराम उम्र 52 वर्ष
2. पुरखाराम पुत्र मंगलाराम उम्र 65 वर्ष
3. कौशलाराम पुत्र मंगलाराम उम्र 70 वर्ष
4. मोटाराम पुत्र मंगलाराम उम्र 56 वर्ष
5. तगाराम पुत्र राजूराम उम्र 32 वर्ष
6. वीरमाराम पुत्र राजूराम उम्र 34 वर्ष
7. कमला पत्नि पोकराराम उम्र 38 वर्ष
8. वीरोंदेवी पत्नि राजूराम उम्र 60 वर्ष

जातियान जाट, निवासी चम्पा भाखरी तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा।

बनाम

1. अमराराम पुत्र जेठाराम उम्र 77 वर्ष
2. देराजराम पुत्र मोडाराम उम्र 58 वर्ष
3. रूपाराम पुत्र सोनाराम उम्र 65 वर्ष
4. भेराराम पुत्र हेराजराम उम्र 55 वर्ष
5. गजाराम पुत्र किरताराम उम्र 65 वर्ष
6. पुराराम पुत्र रूगनाथराम उम्र 60 वर्ष
7. जोधाराम पुत्र सोनाराम उम्र 66 वर्ष
8. हेमाराम पुत्र सोनाराम उम्र 68 वर्ष
9. चूनाराम पुत्र गंगाराग उम्र 35 वर्ष
10. देवाराम पुत्र लालाराम उम्र 40 वर्ष
11. देवाराम पुत्र भूराराम उम्र 32 वर्ष

जातियान जाट, निवासी चम्पा भाखरी तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा

12. तहसीलदार महोदरा सिणधरी।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री भंवरलाल सारण, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थी एकतरफा।

आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.08 18:17:19 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 25.04.2025

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण का खेत मौजा तहसील सिणधरी पटवार हल्का–करना में खसरा संख्या 265/4, 265/16, 265/7, 265/6 रकबा क्रमश 5.8005, 4.1987, 9.5947, 6.472 हैक्टेयर कुल रकबा 26.0659 हैक्टेयर व ग्राम थोरी

सिणधरी

नगर का खसरा संख्या 428/407 रकबा 16.0263 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत मौजा चम्पा भाखरी तहसील सिणधरी पटवार हल्का–करना में खसरा संख्या 265/4, 265/16, 265/7, 265/6 रकबा क्रमश 5.8005, 4.1987, 9.5947, 6.472 हैक्टेयर कुल रकबा 26.0659 हैक्टेयर व ग्राम थोरी नगर का खसरा संख्या 428/407 रकबा 16.0263 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थीगण के खेत मौजा चम्पा भाखरी तहसील सिणधरी पटवार हल्का–करना में खसरा संख्या 265/4, 265/16, 265/7, 265/6 रकबा क्रमश 5.8005, 4.1987, 9.5947, 6.472 हैक्टेयर कुल रकबा 26.0659 हैक्टेयर व ग्राम थोरी नगर का खसरा संख्या 428/407 रकबा 16.0263 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा मौजा चम्पा भाखरी तहसील सिणधरी पटवार हल्का–करना में खसरा संख्या 265/4, 265/16, 265/7, 265/6 रकबा क्रमश 5.8005, 4.1987, 9.5947, 6.472 हैक्टेयर कुल रकबा 26.0659 हैक्टेयर व ग्राम थोरी नगर का खसरा संख्या 428/407 रकबा 16.0263 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि [illegible] विवेचन किया गया। जिसमें पाया मौजा चम्पा भाखरी तहसील सिणधरी पटवार हल्का–करना में खसरा संख्या 265/4, 265/16, 265/7, 265/6 रकबा क्रमश 5.8005, 4.1987, 9.5947, 6.472 हैक्टेयर कुल रकबा 26.0659 हैक्टेयर व ग्राम थोरी नगर का खसरा संख्या 428/407 रकबा 16.0263 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड सहखातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.08 18:17:19 IST
Reason: SelfAttested

पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करते। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा,प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील सिणधरी पटवार हल्का–करना के मौजा चम्पा भाखरी में खसरा संख्या 265/4, 265/16, 265/7, 265/6 रकबा क्रमश 5.8005, 4.1987, 9.5947, 6.472 हैक्टेयर कुल रकबा 26.0659 हैक्टेयर व ग्राम थोरी नगर का खसरा संख्या 428/407 रकबा 16.0263 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 1000/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक [illegible] को लिखाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.08 18:17:19 IST
Reason: SelfAttested